उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-22/2026/आई/1217076/2026/तीस-3-2026

लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी, 2026

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

जनपद भदोही में दिनांक 25 जुलाई, 2016 को टाटा मैजिक वाहन संख्या-यू०पी० 65 टी 4566 को हुई दुर्घटना में श्री प्रवीण शंकर राय, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), भदोही सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2844/तीस-3-2018-2844/2018 दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। तदोपरान्त उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-505/तीस-3-2021, दिनांक 15 फरवरी, 2021 द्वारा निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुए, उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयीः-

"स्कूली वाहनों के प्रवर्तन कार्य में शिथिलता के लिए श्री पी०एस० राय, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को परिनिन्दित किया जाता है।"

2. शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.02.2021 द्वारा पारित दण्ड के विरुद्ध श्री प्रवीण शंकर राय द्वारा मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ में निर्देश याचिका संख्या-1093/2021 प्रवीण शंकर राय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 09.08.2023 को सुनवाई के उपरांत आदेश पारित किये गये हैं, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत हैः-

"The Claim Petition is allowed. Order dated 15.2.2021, annexure no.1 to the claim petition, is hereby set-aside. The petitioner shall be entitled to all the consequential benefits, arising out of this order.

Compliance of this order shall be made within a period of three months from the date of production of a certified copy of this judgement before the OPs"

3. मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के उक्त आदेश का अनुपालन न होने से याची श्री प्रवीण शंकर राय द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण में अवमानना याचिका संख्या-303/2024 प्रवीण शंकर राय बनाम श्री एल० वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन योजित की गयी है।

4. श्री प्रवीण शंकर राय, सेवानिवृत्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या-750/2025 प्रवीण शंकर राय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिका पर दिनांक 21.01.2025 को सुनवाई करते हुए मा० न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित करते हुए याचिका को निस्तारित किया गया है:-

"Heard learned counsel for the parties.

It appears that petitioner's claim for promotion was not considered earlier on account of minor punishment awarded to him under the 1999 Rules. The punishment appears to have been set aside by the State Public Services Tribunal by order dated 09.08.2023. In such circumstances, petitioner's claim for being considered for promotion to the post of Regional Transport Officer as and when fresh proceedings are undertaken in that regard.

If the facts as narrated by the learned counsel for the petitioner are correct, then the respondent shall consider the claim of the petitioner for promotion to the post of Regional Transport Officer in the light of the relevant Rules and the criteria evolved for

such promotion. Let this be done within three months from the date a certified copy of this order is submitted,

All the respondents shall facilitate such consideration by sending the requisite information records as may be required, with expedition. The writ petition is disposed of in the above terms."

5. प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-230/तीस-3-2025, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के माध्यम से कार्यालय ज्ञाप संख्या-505/तीस-3-2021, दिनांक 15 फरवरी, 2021 द्वारा श्री पी०एस० राय, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) भदोही सम्प्रति सेवानिवृत्त को दिये गये "परिनिन्दा" के दण्ड को समाप्त किया गया है।

6. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-750/2025 प्रवीण शंकर राय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 21.01.2025 का अनुपालन न किये जाने के कारण श्री प्रवीण शंकर राय, से०नि० सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में अवमाननावाद संख्या CAPL (CIVIL) -2086/2025 प्रवीण शंकर राय बनाम श्री एल० वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन योजित की गयी। उक्त अवमाननावाद संख्या-2086/2025 पर मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2025 की सुनवाई में कतिपय आदेश पारित किये गये हैं, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

By the next date of listing, affidavit of compliance be filed by the respondent."

7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-750/2025 प्रवीण शंकर राय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 तथा तत्सम्बन्धी अवमाननावाद संख्या CAPL (CIVIL)-2086/2025 प्रवीण शंकर राय बनाम श्री एल० वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन में पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 के अनुपालन में श्री प्रवीण शंकर राय, से०नि०, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में चयन समिति द्वारा श्री प्रवीण शंकर राय (ज्येष्ठता क्रमांक-150) को, उनसे कनिष्ठ श्री राजेश कुमार वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-151) की संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28.06.2021 से श्री राय की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.08.2022 तक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर नोशनल पदोन्नति दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

8. चयन समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2025 में की गयी उक्त संस्तुति के क्रम में श्री प्रवीण शंकर राय (ज्येष्ठता क्रमांक-150) को, उनके कनिष्ठ श्री राजेश कुमार वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-151) की संभागीय परिवहन अधिकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि 28.06.2021 से दिनांक 31.08.2022 (श्री प्रवीण शंकर राय की सेवानिवृत्ति की तिथि) तक की अवधि के लिए, नोशनल पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में संभागीय परिवहन अधिकारी अधिकारी, नियमित वेतनमान रु० 15600-39100, ग्रेड वेतन रू० 7600, पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78800-209200) के एक अधिसंख्य पद का सृजन कार्यालय ज्ञाप संख्या-आई/1142018/2025/तीस-3-2025, दिनांक 13.11.2025 द्वारा किया गया है।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. अतएव चयन समिति की दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को संपन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री प्रवीण शंकर राय (ज्येष्ठता क्रमांक-150) को, दिनांक 28.06.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक की अवधि के लिए, संभागीय परिवहन अधिकारी अधिकारी, नियमित वेतनमान रु० 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600, पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78800-209200) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

10 उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-8 में दिये गये प्राविधानानुसार श्री प्रवीण शंकर राय, से०नि० सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का वेतन निधारित होगा।

11. श्री प्रवीण शंकर राय, से०नि० सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नोशनल पदोन्नति की अवधि में वास्तविक रूप से सम्बन्धित पदधारित नहीं किया गया है, अतएव इनको नोशनल पदोन्नति की उक्त अवधि का एरियर भत्ते दिये जाने का अवसर नहीं है।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

के0 पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ०प्र०, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ०प्र० के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।